राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार "

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 147 / 2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भैराराम पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी ग्राम खेतास पटवार क्षेत्र गठिलासर तहसील व जिला नागौर।		1. शंकरराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी ग्राम खेतास पटवार क्षेत्र गठिलासर तहसील व जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 16.06.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थी एवं अप्रार्थी ग्राम खेतास पटवार क्षेत्र गठिलासर तहसील व जिला नागौर के निवासीगण है तथा दोनों पक्षकारान यथा प्रार्थी और अप्रार्थी के खेताय एक–दूसरे से सटे हुए ग्राम खेतास में स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 63 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 529 / 184 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा हैं, जिसकी जमाबंदी आवेदन के साथ प्रस्तुत है। इसी प्रकार अप्रार्थी शंकरराम के कब्जे काश्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 67 बीघा 17 बिस्वा है, जिसकी जमाबंदी आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

2 यह है कि, प्रार्थी व अप्रार्थी आपसी सहमति से अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 181 के पश्चिमी–दक्षिणी कोर्नर में संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि को दक्षिण की ओर जाते हुए खेत खसरा नम्बर 529 / 184 के उत्तरी माठ के सहारे–सहारे पूर्व–पश्चिम लम्बाई में एवं तत्पश्चात पश्चिमी माठ के सहारे सहारे उत्तर–दक्षिण लम्बाई में और खेत खसरा नम्बर 182 के बीच में पूर्व–पश्चिम लम्बाई में प्रस्तावित स्थल तक की भूमि को रास्ते के रूप में कायम करना चाहते हैं, जिस भूमि को इस आवेदन के साथ प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपि नक्शा खेताय प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि के संबंध में जिस जगह पर रास्ता कायम करना चाहते हैं, को दर्शित करते हुए लाल रंग से दर्ज करके इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन खेताय के नक्शे में जो भूमि लाल रंग से दर्शित की गई हैं, उस भूमि को 15 फीट की चौडाई में और खसरा नम्बर 181 के दक्षिणी–पश्चिमी कोर्नर से प्रस्तावित स्थल तक की लम्बाई में जो लगभग 1150 फीट होती है, को रास्ते के रूप में कायम करना चाहते हैं, जिसकी अनुमति हेतु यह आवेदन पेश है।

3 यह है कि, पक्षकारान के द्वारा जिस भूमि को रास्ते के रूप में कायम करने के लिए सहमति प्रदान की गई हैं, वह भूमि खेतास पटवार क्षेत्र गठिलासर तहसील नागौर में स्थित है, जिसके संबंध में वर्तमान आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

4 यह है कि, आवेदन विहित प्रारूप में न्यायालय शुल्क के साथ प्रस्तुत हैं, अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क यदि न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाती हैं, तो उसका भुगतान करने के लिए पक्षकारान तैयार है।

5 यह है कि, भूमिधारी तहसीलदार को प्रकरण में बतौर अप्रार्थी दर्ज किया गया है, क्योंकि वह भूमिधारी है और उन्हीं के द्वारा तथाकथित भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज करते हुए आवश्यक तरमीम एवं राजस्व अभिलेखों को संधारित किया जाना है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

राजस्व प्रार्थना पत्र 147/2015
भैराराम बनाम शंकरराम

संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित तथ्य सही है।
2 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित तथ्य सही है।
3 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित तथ्य सही है।
4 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 4 मे वर्णित तथ्य सही है।
5 यह है कि, आवेदन पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित तथ्य सही है।

पत्रावली **"न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र गंठीलासर"** में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम में सुना गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है एवं प्रार्थी के खातेदारी के खेताय मे आने जाने हेतु अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 181 मे से रास्ता बिना प्रतिफल के दिये जाने की सहमति प्रदान की है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेताय खसरा नम्बर 182, 529/184 मौजा खेतास मे आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता मे खसरा नम्बर 181 संलग्न नजरी नक्शा मे मार्ग ए से बी तक की लम्बाई 171 फुट तथा चौड़ाई 15 फुट एवं खसरा नम्बर 529/184 मे सी से डी तक लम्बाई 466 फुट चौडाई 15 फुट व ई से एफ तक की लम्बाई 132 फुट चौड़ाई 15 फुट जिसका कुल क्षेत्रफल 0.10.06 बीघा बनता है एवं खसरा नम्बर 182 मे जी से एच तक लम्बाई 1580 फुट, चौडाई 15 फुट के अनुसार क्षेत्रफल 1.07.04 बीघा बनता है। संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में रहेगा। तहसीलदार नागौर को लिखा जावे कि उपरोक्त रास्ते पेटे भूमि को रास्ते पेटे जाने वाले खेताय में कम करावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में रहेगा। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग होगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 16.06.2016 को मेरे द्वारा मजमे अटल सेवा केन्द्र गंठीलासर में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर